दूरभाष : नियंत्रक : 2550931
फैक्स : 2551069
उप नियंत्रक : 2551069

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

अरेरा हिल्स, मैदा मिल रोड, भोपाल—462 011

क्रमांक जी.बी./दो (12)/2012/ 723 भोपाल, दिनांक 25-2-12

प्रति,

संयुक्त/उप नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय,
भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/रीवा

विषय :— शासकीय कार्यालयों/विभागों से प्राप्त होने वाले मुद्रण कार्य ।

संदर्भ :— समीक्षा बैठक दिनांक 17.1.2012 के बिन्दु कमांक 6 के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

शासकीय विभागों के मुद्रण कार्य हेतु मुद्रणालयों से जिले सम्बद्ध किये गए हैं। प्रायः देखने में आया है कि सम्बद्ध जिलों के कार्यालयों/विभागों से मुद्रण मांगपत्र के अनुसार सामग्री मुद्रित करने में असमर्थता की स्थिति में संबंधित मुद्रणालय द्वारा कार्यालय/विभाग को अपने स्तर से अवगत करा दिया जाता है कि उक्त मुद्रण कार्य निर्धारित समय—सीमा में किया जाना सम्भव नहीं है जिसे कार्यालय/विभाग एन0ओ0सी0 मान्य कर मुद्रण कार्य की अन्य व्यवस्था अपने स्तर कर लेते हैं जिसकी कोई सूचना मुख्यालय को नहीं दी जाती है। उक्त प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं है।

2. विभागों से प्राप्त होने वाले मुद्रण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मुद्रणालय में ही उपलब्ध संसाधनों से किये जाने के प्रयास किये जावें और यदि किसी कारणवश मुद्रण कार्य करने में असमर्थता हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम मुख्यालय को अवगत कराया जावे कि मुद्रण में क्या समस्या है एवं उसका निदान क्या है ? ताकि मुख्यालय स्तर से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का निर्णय लिया जा सके।

3 अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी कार्यालय/विभाग को अपने स्तर से मुद्रण कार्य करने में असमर्थता बाबत् एन0ओ0सी0 के आशय का पत्र जारी न किया जावे तथा मुद्रण कार्य करने में समस्या की स्थिति में उसकी जानकारी मुख्यालय को दी जावे एवं निर्देशानुसार आवंटित जिलों के मुद्रण कार्य हेतु उनसे सतत सम्पर्क बनाए रखें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(हीरालाल त्रिवेदी)
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म.प्र., भोपाल

पृ.क्र. जी.बी./दो (12)/2012 7244 भोपाल दिनांक 25-2-12

प्रतिलिपि :–

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त आयुक्त, म0प्र0,
4. समस्त कलेक्टर, म0प्र0,
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

की और सूचनार्थ। संयुक्त/उप नियंत्रक, शासकीय प्रेस की अनापत्ति तभी मान्य है जब वह विहित प्रपत्र में हो तथा नियंत्रक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/पृष्ठांकित हो।

(हीरालाल त्रिवेदी)
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म.प्र., भोपाल